RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

दण्डकारण्य समाचार

67 वां वर्ष

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, बुधवार 03 सितम्बर 2025 ■ वर्ष 67 ■ अंक 208 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद, शरजील की जमानत ठुकराई

नयी दिल्ली, 02 सितंबर (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील समेत नौ आरोपियों की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने दंगों के मामले में कथित तौर पर षड्यंत्र रचने पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपियों को फिलहाल कोई राहत देने इनकार कर दिया। यह दूसरी बार है, जब उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

राष्ट्र तय कर रहा आत्मनिर्भरता का नया सोपान - साय

रायपुर 02 अगस्त (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया चिप्स, स्वर्णिम भारत की नई पहचान है और राष्ट्र तय कर रहा आत्मनिर्भरता का नया सोपान श्री साय ने एक्स पर ट्विट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप, आज सेमीकॉन इंडिया 2025 में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर 'विक्रम' लॉन्च किया है।

चुनाव आयोग ने दो जगह वोटर सूची में नाम होने पर पवन खेड़ा से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 02 सितम्बर (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने दो जगह वोटर सूची में नाम होने के आरोप में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है और आठ सितम्बर तक जवाब देने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि श्री खेड़ा के नाम दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 40 के काका नगर के पते पर है और दूसरी जगह उनका नाम दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 41 के डी ब्लॉक जंगपुरा के पते का है। श्री खेड़ा को भेजे नोटिस में चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एक व्यक्ति के दो जगह से वोटर लिस्ट में नाम होना दंडनीय अपराध है। चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि इस नियम के तहत उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और इसका जवाब निर्वाचन अधिकारी को आठ सितम्बर सुबह 11 बजे तक मिलना चाहिए।

भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगीः मोदी

नयी दिल्ली, 02 सितंबर (एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुये मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी।

श्री मोदी ने यहां द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये सेमीकंडक्टर क्षेत्र के देश के नवाचारियों और स्टार्टअप को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और वे डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना तथा चिप्स-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम का लाभ उठायें। सेमीकंडक्टर विनिर्माण की दिशा में देश की उपलब्धियां का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को भारत में बनी चिप्स से शक्ति मिले, इस पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा, नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर दुनिया की कुछ आधुनिकतम चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब बैकएंड से निकलकर पूर्ण रूपेण सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं है, जब भारत की सबसे छोटी चिप, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारक बनेगी। निस्संदेह हमारी यात्रा कुछ देर से शुरू हुई है, लेकिन अब कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती इस सेक्टर में निवेश के लिए नवाचारियों और स्टार्टअप कंपनियों का आह्वान करते हुये उन्होंने कहा कि आज सेमीकंडक्टर डिजाइन तैयार करने वाली दुनिया की 20 प्रतिशत प्रतिभा भारतीय है। उन्होंने कहा, मैं अपने युवा उद्यमियों से, नवाचारियों से, स्टार्टअप्स से कहूंगा कि आप आगे आयें, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना और चिप्स-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम आपके लिए ही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डिजाइन आधारित नवाचार योजना को नया रूप देने जा रही है। इसका उद्देश्य इस सेक्टर में भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विकसित विकसित करना है। सेमीकंडक्टर चिप को डिजिटल डायमंड बताते हुये उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में दुनिया का भाग्य तेल के कुंओं से तय होता था। इक्कीसवीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी हैं, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है।

उन्होंने कहा कि आज सेमीकंडक्टर्स का वैश्विक बाजार 60 हजार करोड़ डॉलर का है जो अगले कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ डॉलर को पार कर जायेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस रफ्तार से भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग बढ़ रहा है इसमें एक अहम हिस्सा भारत का होगा।

श्री मोदी ने कहा कि कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर की 10 परियोजनाओं में 18 अरब डॉलर (डेढ़ लाख करोड़ रुपये) से अधिक का निवेश हो रहा है। यह भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली लागू की है जिससे फाइल से फैक्ट्री का समय कम हुआ है और केंद्र तथा राज्यों की सारी मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। इससे निवेशकों पर कागजी कार्रवाई का दबाव समाप्त हो गया है। सरकार सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और डिजाइन आधारित प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसका परिणाम है कि माइक्रॉन और टाटा ने टेस्ट चिप बनाने शुरू कर दिये हैं और इसी साल बाजार में स्वदेशी वाणिज्यिक चिप भी आ जायेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की सफलता की कहानी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें डिजाइनिंग, विनिर्माण, पैकेजिंग और हाई-टेक डिवाइस आदि देश में उपलब्ध हो। सरकार ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रही है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाये। उन्होंने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर सेक्टर के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी लगातार काम कर रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत दुर्लभ खनिजों की मांग देश से ही पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। चार सालों में इस परियोजना पर काफी काम हुआ है।

पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए प्रवेश में छूट के नये नियम जारी

नयी दिल्ली, 02 सितंबर (एजेंसी)। सरकार ने आप्रवास एवं विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत छूट के नये नियम जारी कर दिये हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में आप्रवास एवं विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 2025 जारी किया जो 01 सितंबर से प्रभावी हो गया है। साथ ही अलग से अधिसूचना जारी कर अवैध रूप से भारत में रहने वाले विदेशियों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आदेश में कहा गया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को इन देशों से लगती सीमाओं से भारत में प्रवेश या भारत से अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। अपने देश के अलावा किसी और देश की सीमा से प्रवेश करते समय वैध पासपोर्ट जरूरी होगा। हालांकि चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करते समय से भारत से इन देशों की सीमाओं में जाते समय उन्हें नियमों में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। साल 1959 के बाद और 30 मई 2003 से पहले भारत में आये तिब्बत के ऐसे नागरिकों को जो पहले से भारत में रह रहे हैं और संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराया हुआ है और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान की गयी है। काठमांडु में भारतीय दूतावास के विशेष प्रवेश परमिट पर 30 मई 2003 के बाद भारत-नेपाल सीमा के रास्ते भारत आये तिब्बती नागरिकों को भी यह छूट उपलब्ध होगी।

केंद्र सरकार किसी भी आदेश को कर सकती रद्द

एक अन्य गजट नोटिफिकेशन में अधिनियम को लागू करने की राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, केंद्र सरकार राज्य के जारी किसी भी आदेश में संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। कोई भी विदेशी नागरिक तय आप्रवास चौकियों के माध्यम से ही आ या जा सकेगा। तीसरी अधिसूचना में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि तय की गयी है और जुर्माना लगाने वाले अधिकारियों के नाम तय किये गये हैं। बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। वीजा या अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिन तक अधिक ठहरने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, 31 से 90 दिन तक अधिक ठहरने पर 20 हजार रुपये, 180 दिन तक रुकने पर 50 हजार रुपये, एक साल तक रुकने पर एक लाख रुपये और एक साल से अधिक रुकने पर दो लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।

फैसला इस आधार पर नहीं होगा कि कौन-सी राजनीतिक व्यवस्था सत्ता में है या थीः सुको

नयी दिल्ली, 02 सितंबर (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति संदर्भ मामले की सुनवाई के छठवें दिन मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस आधार पर फैसला नहीं करेगा कि कौन-सी राजनीतिक व्यवस्था सत्ता में है या थी। वह केवल संविधान की व्याख्या करेगा और विशिष्ट उदाहरणों पर विचार नहीं करेगा।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रांत नाथ, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से जानना चाहा कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल तमिलनाडु के मामले में आठ अप्रैल, 2025 को अपने फैसले में इस न्यायालय द्वारा तय की गई विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे? साथ ही, अदालत ने सभी विधेयकों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने की शक्ति पर भी संदेह व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने पूछा, अगर विधेयक समय-सीमा के भीतर पारित नहीं होते हैं तो क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है? इस पर तमिलनाडु सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उत्तर दिया कि विधेयकों पर मान्य स्वीकृति एक परिणाम हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी के कुछ मामलों को देखते हुए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार कार्य करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ ने पूछा कि क्या न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए एक सीधा सूत्र निर्धारित कर सकता है। पीठ ने कहा, यदि विलंब के व्यक्तिगत मामले हैं तो पीड़ित पक्ष राहत पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि निर्णय एक समय सीमा के भीतर लिया जाए, हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि न्यायालय राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्रवाई के लिए एक सामान्य समय-सीमा निर्धारित कर दे।

सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की बार-बार की घटनाओं को देखते हुए ये समय-सीमाएँ आवश्यक थीं। उन्होंने कहा कि विधेयक को रद्द करने का अधिकार केवल मंत्रिमंडल को है, किसी और को नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा, यह राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता।

देशभर में भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली,02 सितंबर (एजेंसी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 24 घंटों में इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इसने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मंलगवार को अत्यंत भारी वर्षा के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।

24 घंटे में दूसरा भयानक भूकंप, भारत ने भेजी मदद, अब तक 1400 मौत

अफगानिस्तान, 02 सितम्बर (एजेंसी)। अफगानिस्तान में सोमवार को आए तगड़े भूकंप के महज 24 घंटे के भीतर दूसरी बार धरती हिली है। देश के साउथ-ईस्ट हिस्से में मंगलवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। एक दिन पहले आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन हजार से ज्यादा लोग घायल हैं। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रवक्ता यूसुफ हमाद ने बताया, घायल लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है इसलिए आंकड़े आगे बढ़ सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहले भूकंप से हुए भूस्खलन ने मुख्य मार्गों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे राहत और आपातकालीन टीमें समय पर प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

मोदी ने जताया दुख

अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप से जानमाल के नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं साझा कीं।

637 करोड़ के बैंक फ्रॉड में चेन्नई, कोलकाता और गोवा में बड़ी छापेमारी

नई दिल्ली,02 सितंबर (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने 637 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में अरविंद रेमेडीज लिमिटेड और इसके प्रमोटर अरविंद बी. शाह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। इस सिलसिले में चेन्नई, कोलकाता और गोवा में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद सामने आया। पीएनबी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद रेमेडीज लिमिटेड और उसके प्रमोटरों ने बैंकिंग सिस्टम को करीब 637 करोड़ का चूना लगाया है। यह धोखाधड़ी सिर्फ पीएनबी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, करुर वैश्य बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जैसे अन्य बैंकों के साथ भी की गई। इन सभी बैंकों ने कंपनी को कुल 704 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया था। जांच में पता चला है कि कंपनी ने लोन की रकम को कारोबार में लगाने के बजाय, उसे फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) और बेनामी खातों के जरिए निकाल लिया। ईडी ने कंपनी और उसके प्रमोटरों से जुड़े 294 बैंक खातों की जांच की, जिसमें यह बात साफ हो गई।

आज का इतिहास

1189-हेनरी द्वितीय के बाद रिचर्ड को इंग्लैंड का राजा बनाया गया।
1783-अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया।
1833-अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र न्यूयार्क सन बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था।
1923-जाने-माने तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म।
1939-ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ।

बहुत खूब

चूहों के लिए नर्क बना ये देश, पनीर और चॉप की तरह चाव से खाते हैं लोग, गरीबी से है कनेक्शन

नई दिल्ली, 2 सितम्बर (एजेंसी)। गली चौबारे में आपने मोमस,चॉप या पनीर टिक्का बिकते खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी जगह सड़क पर चूहा भी पनीर टिक्की की तरह बिक सकता है। अफ्रीका के मलावी में यह बिल्कुल आम बात है। यहां बाजारों में लोग रोस्टेड चूहा बड़े चाव के साथ खाते हैं। यह स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पोषण और भूख मिटाने का भी जरिया है। मलावी के लोग इसे सुबह और शाम दोनों समय नाश्ते में खाना पसंद करते हैं।

मलावी में रोस्टेड चूहा स्ट्रीट फूड के रूप में लोकप्रिय है। राजमार्ग के किनारे लोग खड़े होकर इसे बेचते हैं और खरीदते हैं। यहां का रोस्टेड चूहा लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। लोग इसे पकाकर नमकीन बनाते हैं या सुखाकर बेचते हैं। नाश्ते में यह आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसे बड़े चाव से खाते हैं। स्थानीय लोग इसे केवल खाना ही नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। मलावी में लोग चूहों का शिकार सीधे खेतों से करते हैं। खासकर मकई के खेतों में चूहों को पकड़ कर डंडों पर लटकाया जाता है। इसके बाद सड़क किनारे या बाजार में बेच दिया जाता है। यह सस्ता और पोषक आहार लोगों के लिए जीवनरक्षक है। रोस्टेड चूहा खाना यहां की आदत और आवश्यकताओं का हिस्सा बन गया है। लोग इसे खाने में मज़ा भी लेते हैं और भूख मिटाने का सरल तरीका भी मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मलावी को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग सस्ते और पौष्टिक भोजन के लिए चूहा खाते हैं। फसल की विफलता और भूखमरी से बचने के लिए यह एकमात्र विकल्प भी बन जाता है। यही वजह है कि रोस्टेड चूहा यहां की स्ट्रीट फूड संस्कृति का हिस्सा बन गया है। गरीबी और भूख ने इसे लोगों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है जो पर्यटकों और विदेशियों के लिए बेहद आश्चर्यजनक नजर आता है।

ट्रम्प का टैरिफ अवैध है, अमेरिकी संघीय अपील कोर्ट का फैसला

ब्रिस्बेन,02 सितंबर(एजेंसी)। अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ को अवैध करार दिया है। 7-4 के बहुमत से न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया है. दुनिया के लगभग हर देश से आने वाली लगभग सभी वस्तुओं पर असीमित अवधि के लिए टैरिफ लगाया है। इस फैसले से अमेरिका के साथ अभी भी बातचीत कर रहे व्यापारिक साझेदारों की रणनीतियां अस्त-व्यस्त हो जाएंगी, जो कानूनी लड़ाई के परिणाम का इंतजार करने और देखने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि, इस निर्णय को चुनौती देने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं. लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा. संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने कहा कि टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि आगे की अपील के लिए समय मिल सके। इस फैसले ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम आईईईपीए के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया। ट्रंप इस अधिनियम का उपयोग टैरिफ लगाने के लिए करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, जिससे कार्यकारी शक्ति के परीक्षण का मंच तैयार हो गया है।

पंजाब में आई चार दशक की सबसे भीषण बाढ़, अब तक हुई 29 लोगों की मौत

चंडीगढ़ ,02 सितंबर (एजेंसी)। पंजाब इस समय पिछले चार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। राज्य के 1,044 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, लाखों हेक्टेयर फसलें तबाह हो गई और मवेशियों के लिए चारा नहीं है। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ के कारण घर छोड़कर बेघर हो गए हैं। राज्य के 12 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए बाढ़ के हालातों पर नजर डालते हैं।

पंजाब से सटे हुए हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में इस मानसून में लगातार हुई भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए। इसका असर पंजाब की प्रमुख नदी रावी, व्यास और सतलुज पर भी पड़ा। तीनों नदियों के उफान पर आने से पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना, मानसा, रूपनगर, बरनाला, बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर जिलों के सैकड़ों गाव बाढ़ से घिर गए। लोगों को अपने घर छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा है। राज्य के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, बाढ़ से अब तक पठानकोट जिले में 6 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना, मानसा, रूपनगर और बरनाला जिलों में 3-3 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर जिलों में भी एक-एक मौत दर्ज की गई है। एजेंसी की अनुसार, पिछले सप्ताह पठानकोट जिले में आई बाढ़ के बाद से तीन लोग लापता हैं, जिनका अभी कोई सुराग नहीं लगा है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य में हुई मौतों को लेकर कहा, जिला मुख्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मौतों से संबंधित आंकड़े संकलित किए गए हैं।

लॉग ऑन करें : दण्डकारण्य समाचार इंटरनेट संस्करण http://www.dandakaranyasamachar.com Go